संख्या- 20/2016/वे0आ0-398/दस-2016-62(एम)/2008 टी0सी0-1

प्रेषक,

राहुल भटनागर,
प्रमुखसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक: 29 मार्च, 2016**

विषय- ए0सी0पी0 की व्यवस्था में कतिपय बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 यथा संशोधित में ए0सी0पी0/समयमान वेतनमान की व्यवस्था में वरिष्ठ कार्मिकों को कनिष्ठ की तुलना में निम्न ग्रेड वेतन/कम मूल वेतन अनुमन्य होने की विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा उठायी गई समस्या के निराकरण तथा ग्रेड वेतन रू0 2000/- को इग्नोर किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :---

क्र0 सं0	स्पष्टीकरण का बिन्दु	स्पष्टीकरण
1	शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-4(IV) में यह व्यवस्था की गयी है कि "वरिष्ठ कार्मिक को समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था में प्रथम/द्वितीय वैयक्तिक पदोन्नति /अगला वेतनमान अनुमन्य होने एवं कनिष्ठ कार्मिक को ए0सी0पी0 के रूप में प्रथम/द्वितीय ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ का वेतन, कनिष्ठ के सापेक्ष कम होने से उत्पन्न विसंगति के निराकरण हेतु वरिष्ठ का वेतन भी कनिष्ठ के समान विसंगति के दिनांक से	इस प्रकार के मामलों में भी समान शर्तों के अधीन वरिष्ठ का वेतन उस दिनांक से कनिष्ठ के समान कर दिया जायेगा जिस दिनांक से कनिष्ठ का वेतन वरिष्ठ की तुलना में अधिक हुआ है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	कर दिया जायेगा। उपर्युक्त लाभ सम्बन्धित वरिष्ठ कार्मिक को तभी अनुमन्य होगा, जबकि वरिष्ठ तथा कनिष्ठ दोनों कार्मिकों की भर्ती का स्रोत एवं सेवा शर्तें समान हों। " उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में यह बिन्दु उठाया गया है कि यदि तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने पर वरिष्ठ का वेतन कनिष्ठ से कम हो जाता है तो इसका समाधान क्या होगा।	
2	शासनादेश संख्या - 06 / 2015 /वे0आ0-2-123/दस-62(एम)/ 2008 दिनांक 12 फरवरी, 2015 के द्वारा शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/2008 दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के प्रस्तर-3(2) के नीचे प्रस्तर-3(2क) को निम्नवत जोड़ा गया हैः- "प्रथम एवं द्वितीय प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान के रूप में अनुमन्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में सम्बन्धित पदधारक को अगली वेतन वृद्धि न्यूनतम 06 माह की अवधि के उपरान्त पड़ने वाली 01 जुलाई को देय होगी। " समयमान वेतनमान में वेतन निर्धारण के फलस्वरूप अगली वेतन वृद्धि की देयता के सम्बन्ध में की गई उक्त व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ऐसे कार्मिक जिन्हें समयमान वेतनमान में उच्च वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 02 जनवरी से 30 जून तक प्राप्त हुआ है, उन्हें अगली 01 जुलाई को वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जबकि ऐसे कार्मिक जिन्हें समयमान वेतनमान की व्यवस्था में उच्च वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 01 जुलाई से अगली 01 जनवरी तक प्राप्त हुआ है, उन्हें अनुमन्यता की तिथि से 06 माह की अवधि पूर्ण होने के कारण	ऐसे कार्मिक जिन्हें पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 जनवरी, 2006 के बाद दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू रही समयमान वेतनमान की व्यवस्था में दिनांक 02 जनवरी से 30 जून की अवधि में उच्च वैयक्तिक वेतनमान अनुमन्य हुआ है, का वेतन उनसे कनिष्ठ ऐसे कार्मिक जिन्हें समयमान वेतनमान में उच्च वैयक्तिक वेतनमान दिनांक 01 जुलाई से अगली 01 जनवरी तक प्राप्त हुआ है, की तुलना में कम होने पर वरिष्ठ कार्मिक का वेतन उस दिनांक से कनिष्ठ कार्मिक के समान निर्धारित कर दिया जायेगा, जिस दिनांक से कनिष्ठ का वेतन वरिष्ठ की तुलना में अधिक हुआ है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अगली 01 जुलाई को ही वेतन वृद्धि का लाभ मिल जाता है। इस प्रकार कतिपय मामलों में कनिष्ठ कार्मिक का वेतन वरिष्ठ की अपेक्षा अधिक होने की स्थिति बन रही है।	
3	शासनादेश संख्या-08/2015 वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 03 मार्च, 2015 में व्यवस्था है:--- " ऐसे पदधारक जिन्हें ए0सी0पी0 की व्यवस्था विषयक शासनादेश संख्या-वे0आ0-2/773/दस-62(एम)2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2014 के निहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के कारण सीधी भर्ती के पद पर प्रथम नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण होने के बावजूद सीधी भर्ती के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से तीसरे वित्तीय स्तरोन्नयन के समतुल्य ग्रेड वेतन वास्तविक पदोन्नति/समयमान वेतनमान/ए0सी0पी0 अनुमन्य होने के बावजूद नहीं मिल पाया है, उन्हें शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008,दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 में उपलब्ध सीधी भर्ती के पद के ग्रेड वेतन से तीसरा उच्च ग्रेड वेतन सीधी भर्ती के पद पर नियमित नियुक्ति की तिथि से 26 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूर्ण करने की तिथि अथवा दिनांक 01 दिसम्बर, 2008, जो भी बाद में हो, से स्वीकृत किया जायेगा। सीधी भर्ती के पद का आशय उस पद से है, जिस पद पर सम्बन्धित कार्मिक सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त हुआ हो।" उपर्युक्त व्यवस्था के क्रम में यह बिन्दु उठाया गया है कि ग्रेड वेतन रू0 1900/- से अगले उच्च ग्रेड	शासनादेश संख्या-08/2015 वे0आ0-2-190/दस-62(एम)/2008टी0सी0, दिनांक 03 मार्च, 2015 तथा शासनादेश संख्या-50/2015/वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26 अगस्त, 2015 की व्यवस्थानुसार क्रमशः 26 एवं 16 वर्ष की सेवा पर तृतीय एवं द्वितीय स्तरोन्नयन दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-1318/दस-59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक-2अ पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ-6 में उपलब्ध सीधी भर्ती के ग्रेड वेतन से क्रमशः तीसरा एवं दूसरा ग्रेड वेतन के निर्धारण में ग्रेड वेतन रू0 2000/- को इग्नोर किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	वेतन की गणना में ग्रेड वेतन रू0 2000/- को लिया जायेगा या इग्नोर किया जायेगा अथवा नहीं। इसी प्रकार शासनादेश संख्या-50/2015/वे0आ0-2-871/दस-62(एम)/2008, दिनांक 26 अगस्त, 2015 में की गई व्यवस्था में 16 वर्ष की सेवा द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन दिये जाने हेतु ग्रेड वेतन रू0 2000/- को इग्नोर किया जायेगा अथवा नहीं।	
4	वरिष्ठ कार्मिक की प्रथम पदोन्नति दो वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के उपरान्त प्रथम पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड/ग्रेड वेतन में होती है। प्रथम पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में प्राप्त ग्रेड वेतन के बराबर अथवा उच्च होने की स्थिति में वह प्रथम पदोन्नति के पद के वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन में बना रहता है। कनिष्ठ कार्मिक की प्रथम पदोन्नति प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के उपरान्त या इसके पूर्व ही उच्च ग्रेड वेतन में होती है फलस्वरूप उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन में उसे पदोन्नति के पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन प्राप्त होता है। इस कारण वरिष्ठ कार्मिक निम्न ग्रेड वेतन में बना रहता है और कनिष्ठ कार्मिक को उच्च ग्रेड वेतन प्राप्त हो जाता है। यही स्थिति तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता में भी आ सकती है।	इस प्रकार के मामलों में वरिष्ठ कार्मिक को द्वितीय अथवा तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य ग्रेड वेतन को कनिष्ठ को मिल रहे द्वितीय/तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के समान स्तर पर कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से उच्चीकृत कर दिया जाय। इस उच्चीकरण के फलस्वरूप वेतन निर्धारण में वेतन वृद्धि का लाभ देय नही होगा केवल उच्च ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा। इस उच्चीकरण के फलस्वरूप यदि वरिष्ठ का मूल वेतन कनिष्ठ की तुलना में कम निर्धारित हो रहा है, तो उसे कनिष्ठ के समान कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि से कर दिया जायेगा। उदाहरण :-- वरिष्ठ कार्मिक-ए को कनिष्ठ सहायक के पद पर 10 वर्ष की सेवा पर प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 2400/- तथा 16 वर्ष की सेवा पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 2800/- अनुमन्य होता है और उसके बाद उसकी पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर ग्रेड वेतन रू0 2800/- में होती है। कनिष्ठ कार्मिक को 10 वर्ष की

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		सेवा पर एक वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के पूर्व अथवा पश्चात प्रथम पदोन्नति वरिष्ठ सहायक के पद पर ग्रेड वेतन रू0 2800/- में होती है। फलस्वरूप अगले 06 वर्ष अथवा कुल 16 वर्ष की सेवा पर उसे द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड वेतन रू0 4200/- प्राप्त होता है। फलस्वरूप वरिष्ठ कार्मिक द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने के बावजूद ग्रेड वेतन रू0 2800/- तथा कनिष्ठ ग्रेड वेतन रू0 4200/- प्राप्त करता है। ऐसे मामलों में वरिष्ठ कार्मिक को भी कनिष्ठ की अनुमन्यता की तिथि को कनिष्ठ के समान ग्रेड वेतन रू0 4200/- अनुमन्य कर दिया जाय।

भवदीय,

राहुल भटनागर
प्रमुख सचिव।

संख्या- 20/2016/वे0आ0- 398(1)/दस-2016-62(एम)/2008 टी0सी0-1,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:---

(1) महालेखाकार लेखा एवं हकदारी-। एवं ।। तथा आडिट- । एवं ।।, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

(3) प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।

(4) महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

(5) निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।

(6) निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।

(7) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(8) उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(9) इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

(10) गार्डबुक।

आज्ञा से,

मनोज कुमार जोशी
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।